

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 12662 /

दिनांक :-

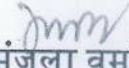
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नीरज शर्मा [लिंक न . 12662] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर - [954] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/11/2017 से 06/12/2017 तक 17 दिवस

कुल 17 दिवस

उक्त कुल 17 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री नीरज शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 12662 / 974

दिनांक :- 12-04-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री नीरज शर्मा [12662] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)